न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 03/2019 निर्णय दिनांक :– 5.9.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. लोकेश पुत्र भंवरलाल जाति तेली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक
2. मुकेश पुत्र भंवरलाल जाति तेली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक
3. दुर्गेशनन्दन पुत्र भंवरलाल जाति तेली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक
4. दुर्गेशनन्दनी पुत्री भंवरलाल जाति तेली निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला–टोंक

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. यशोधरा उर्फ सहोदरा पुत्री लादूलाल पत्नी घासीलाल जाति तेली निवासी फतेहगढ तहसील सरवाड जिला–अजमेर
2. तहसीलदार देवली जिला–टोंक
3. उपपंजीयक देवली
4. भूमि विकास बैंक शाखा देवली, जरिये शाखा प्रबंधक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री प्रेमचन्द जैन
अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 एक ही परिवार के सदस्य जो स्वर्गीय लादू पुत्र कल्याण जाति तेली के वारिसान तथा उत्तराधिकारी है। उपरोक्त सजरे के अनुसार कल्याण के 2 पुत्र हुये जिसमें लादूलाल व जमनालाल हुए, लादूलाल के तीन पुत्र भंवरलाल, घनश्याम, राधेश्याम तथा एक पुत्री यशोधरा हुए, भंवरलाल का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान वादीगण है। आराजी ख0नं0 4325 रकबा 1.27 है0 जिसके साबिक ख0नं0 1780 मिन रकबा 22 बीघा 2 बीस्वा ग्राम देवली तहसील देवली है, उक्त भूमि प्राथीगण के दादा लादूलाल पुत्र कल्याण जाति तेली की बनायी हुई तथा छोडी हुई पैतृक कृषि भूमि है, प्रार्थीगण लादूलाल के पौत्र एवं पौत्री है जिनका उक्त भूमि में जन्मसिद्ध अधिकार है तथा प्राथीगण अपने पिता भंवरलाल के साथ उसके हिस्से में सहकृषक थे, पक्षकारान के मध्य उक्त भूमि का आज तक विभाजन नही हुआ है, मौके पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता का उक्त भूमि में लादूलाल पुत्र कल्याण के बाद 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया था जो कि गलत था क्योंकि उनके साथ प्रार्थीगण का भी उक्त भूमि में उक्त 1/4 हिस्से में से 4/5 हिस्सा है जिसके प्रार्थीगण वास्तविक खातेदार एवं सहकृषक है भंवरलाल को 1/4 हिस्से का अन्तरण करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था, उसका केवल 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्सा था तथा शेष 4/5 हिस्सा प्रार्थीगण का है। प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त भूमि का भंवरलाल, राधेश्याम पिसरान लादूलाल का हिस्सा

नुमाईशी तौर पर रिलीज डीड निष्पादित करवाकर अपने हक में पंजीयन करवा लिया जबकि भंवरलाल को 1/4 हिस्से का रिलीज डीड करने का अधिकार प्राप्त नही था, मौके पर भूमि आज भी अविभाजित है, प्रतिवादी नं0 1 का उक्त भूमि पर पृथक से कब्जा भी नही है परन्तु नाजायज रूप से रिलीज डीड करवाकर जमाबंदी में 3/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 को राज0टि0एक्ट0 के प्रावधानों के तहत अधिकार उत्पन्न नही होते है उक्त रिलीज डीड प्रारम्भतः ही अवैध तथा अकृत /शून्य है जिसकी कोई मान्यता नही है। वादीगण उक्त भूमि में से 1/4 हिस्से के भंवरलाल पुत्र लादूलाल के मरने के बाद खातेदार एवं काबिज काश्तकार है इस संबंध में वादीगण के पक्ष में घोषणा की डिक्री पारित करने तथा उक्त हिस्से की खातेदारी का अमल/अंकन वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में करवाऐ जाने योग्य है तथा जमाबंदी में आवश्यक संशोधन करवाया जाकर प्रतिवादी नं0 1 के नाम अंकित 3/4 हिस्से के स्थान पर 1/2 अंकित करवाऐं जाने योग्य है उसके लिए प्रस्तुत वाद डिक्री करने योग्य है। प्रतिवादी नं0 1 के नाम वर्तमान में उक्त भूमि की 3/4 हिस्से की खातेदारी अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर वह शीघ्रता से सम्पूर्ण भूमि को अन्य के हक में रहन, दान, बेचान करने, वादी को बेदखल करने तथा इनके उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करने पर आमादा है इस कारण उसको हमेशा–हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण को अपार हानि होगी, दोनो पक्षों में अनावश्यक विवाद पैदा होगें तथा कई प्रकार की मुकदमें बाजी बढेगी।

प्रतिपक्ष की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द जैन ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाबानुसार प्रथम चरण में केवल वाद पत्र स्वीकार किया है। शेष गलत है, अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है। चरण नं. 2 में वर्णित लादू पुत्र कल्याण्ध तेली के पक्षकारान वारिसान होना विवादित नहीं है, परन्तु प्रार्थीगण का दावा इस आधार पर चलने योग्य नहीं है। कल्याण के सभी वारिसान को जिनका प्रार्थना पत्र के चरण नं. 2 में उल्लेख किया गया है जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है । इस कारण दावा व प्रा. पत्र चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है। चरण नं. 3 में वर्णित सजरे के अनुसार सभी जीवित सहकृषको को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण तहत कानून दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। चरण 4 में लादूलाल के दो पुत्र व एक पुत्री होना तथा भंवरलाल का देहान्त होना भी विवादित नही है, इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। चरण 5 जिस प्रकार लिखा है, गलत है स्वीकार नही है, प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दावा लाने का अधिकार नही है, वादग्रस्त भूमि में से भंवरलाल व राधेश्याम ने अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में दिनांक 20.12.1997 को ही उनका हिस्सा जरिये रजि0 हकत्यागपत्र अन्तरण कर दिया था जिसको 21–22 साल का समय निकल चुका है, तब से ही प्रकिपक्षी नं.1 का 3/4 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार खातेदार एव काबिज काश्तकार हो चुकी थी, नामान्तरकरण हिस्सा 3/4 का उसी समय प्रतिपक्षी नं. 1 के पक्ष में भर दिया गया था, उक्त रजि. हक त्यागपत्र को तथा नामान्तरकरण को भंवरलाल व राधेश्याम ने आपज तक चुनौती नही दी है। इस कारण भंवरलाल के वारिसान को वर्षो बाद जाकर उस पर आपति करने का अधिकार नही रहा है,राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने के लिए सक्षम मही है, उनको सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी है, वादीगण भंवरलाल द्वारा किये गये हक त्यागपत्र व अन्तरण से पाबन्द है तथा प्रार्थीगण का दावा विधि द्वारा वर्णित है जो चलने

योग्य नही है और खारिज किये जाने येाग्य है। प्रा. पत्र का चरण नं. 6 गलत है स्वीकार नही है दावा व प्रा. पत्र झूठा व मनगडन्त है, को टिनेन्ट को दावे में पक्षकार नही बनाया गया है, लादूलाल पुत्र कल्याण के व उसके बाद वारिसान के नाम भूमि की खातेदारी अंकित होने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने उनके जीवनकाल में कभी भी आपतियों दावा प्रस्तुत नही किया था इस कारण भी यह प्रा. पत्र चलने येाग्य नही है, प्रार्थीगण इस भूमि के टिनेन्ट या को–टिनेन्ट नही होने से उनको वाद व प्रा. पत्र पेश करने का अधिकार नही हैा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र म हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त आराजी भूमि पर कई वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसकी पुष्टि तहसीलदार देवली से प्राप्त मौके की वास्तविक रिपोर्ट से साबित है। प्रार्थीगण को पूर्व में इसकी जानकारी नहीं थी की उनके पिता ने इस भूमि का हक त्याग अप्रार्थी सं. 4 के पक्ष में कर दिया है जब हक त्याग किया गया था उस समय प्रार्थीगण समझते नहीं थे। प्रार्थीगण सामान्य तौर पर कब्जा काश्त करते आ रहे थे। अब जब प्रार्थीगण को 20–21 वर्षो बाद पता चला तो उन्होने अप्रार्थी के विरूद्ध दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। सहकृषक से प्रार्थीगण को कोई रिलिफ नहीं चाही गई है इसलिए इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण के पिता की पैतृक सम्पति में लादूलाल को केवल 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्से का अन्तरण करने का अधिकार था, सम्पूर्ण 1/4 हिस्से का नहीं। प्रार्थीगण को उक्त 1/4 हिस्से में से 4/5 हिस्सा प्रार्थीगण का था। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से मूलवाद के फैसला तक पाबन्द किया जावे कि वे सम्पूर्ण भूमि को अन्य के हक में रहन, दान, बेचान नही करे, वादी को बेदखल नही करने तथा इनके उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस जवाब के बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि भूमि का विभाजन नही हुआ है जबकि प्रार्थी ने सभी सह–कृषको को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि कानून आवश्यक है। प्रार्थीगण विवादाग्रस्त भूमि का इस न्यायालय में वाद लाने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादाग्रस्त भूमि में 3/4 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होने से वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः वादी मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैतृक भूमि के अधिकार से सम्बन्धित है। प्रार्थीगण के अनुसार उक्त आराजी भूमि कल्याण की भूमि है जिनके वारिसान लादूलाल व जमनालाल है। लादूलाल के चार वारिसान है जिनका भी उक्त भूमि मे कानून हिस्सा है इस तरह प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता भवंरलाल उक्त भूमि में 1/4 हिस्से के हकदार है परन्तु उक्त भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल के नाम खुलवाने से भंवरलाल ने अपने हिस्से की 1/4 भूमि का रजिस्टर्ड हक त्याग अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया जो कि कानूनन सही नहीं है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी

संख्या 1 इस भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहती है। वास्तविकता का ज्ञान नियमित वाद में साक्ष्य व सबूतो के आधार पर तय हो सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निश्चयन के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः हमारे विनम्र मत में अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द करना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से मूलवाद तक पाबन्द किया जाता है वह ख0नं0 5482/4325 रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र मूल दावे के साथ पृष्ठ में संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक ८.१.१९ को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली